माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर

ग्राम केरता जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

पंजीयन क्रमांक–डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक 15 अक्टूबर 2006

पेराई सत्र 2019–20 में उत्पादित शक्कर विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र

(माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के याचिका WPC No 1333 of 2020 के अनुसार)

भाग–1 (तकनीकी भाग)

कारखाना स्थल : ग्राम–केरता, तहसील – प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

फर्म का नाम व पता ....
....
....

दिनांक –

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

G.M. (Admin)
M.M.S.S.K. Ambikapur

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अम्बिकापुर ग्राम केरता

शक्कर विक्रय हेतु निविदा का प्रपत्र

निविदा क्रमांक : 1155 **दिनॉक : 10/07/2020**

(नोटः निविदा फार्म दो भागों में है जिसमें प्रथम भाग को तकनीकी भाग जिसे लिफाफा-एक में रखा जाएगा और दूसरे भाग को व्यावसायिक भाग जिसे लिफाफा-दो में मुहरबंद प्रस्तुत किया जाएगा, नाम दिया गया है। निविदाकार लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से लिफाफा - एक और लिफाफा - दो अवश्य लिखे। प्रत्येक पृष्ट पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

निविदा प्रपत्र का विक्रय मूल्य : 1000.00 (एक हजार रूपये मात्र)

तकनीकी भाग (लिफाफा-एक में रखें)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित- अम्बिकापुर

आपके कारखाना द्वारा प्रकाशित **निविदा क्रमांक 1155 दिनॉक 10/07/2020** व्यावसायिक भाग में (लिफाफा-दो) दर्शाए अनुसार शक्कर की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा शक्कर क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

एक - व्यवसायी/फर्म का विवरण :-

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता - ....
....
....
2. मालिक/संचालक का नाम ....
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
4. ई-मेल आई.डी. ....
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
6. पैन नम्बर ....
7. FSSAI Registration Number ....

दो – व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण –

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता – ....
....
....
2 दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
3. फैक्स' नम्बर ....
4. प्रतिनिधि का पता ....

मैं माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित–अम्बिकापुर ग्राम–केरता द्वारा जारी **निविदा क्रमांक 1155 दिनॉक 10/07/2020** के लिए श्री/मेसर्स...
पता..
की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में लिफाफा–एक में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैने शक्कर विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तो को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मै जिम्मेदार रहूँगा।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

तीन – निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना –

निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु दो लिफाफों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफा "लिफाफा–एक" में फर्म से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज फर्म का नाम, **जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर** की छायाप्रति., **पैन प्रमाण पत्र** की छायाप्रति, खाद्य विभाग से जारी **FSSAI Registration प्रमाण पत्र** की छायाप्रति, तीन वर्ष का **आयकर रिर्टन** अथवा तीन वर्ष का **बायलेन्स सीट (निरन्तर होना अनिवार्य है।)** की छायाप्रति एवं **ई.एम.डी. राशि जमा पर्ची** की छायाप्रति संलग्न करना होगा। तथा दूसरे लिफाफे "लिफाफा–दो" में निविदा दर संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। दोनों ही लिफाफे मुहरबंद होनी चाहिए।

प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत समिति द्वारा सर्व प्रथम "लिफाफा–एक" खोला जाएगा जिसके सही पाये जाने पर ही "लिफाफा–दो" खोला जाएगा।

चार – अमानत/ई.एम.डी. राशि –

निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में क्रय हेतु प्रस्तावित की गई मात्रा की कुल राशि का **03 प्रतिशत** के हिसाब से ई.एम.डी. के रूप में कारखाने के खाते में **(खाता नं 30185543714 भारतीय स्टेट बैंक, अम्बिकापुर, में RTGS No-: SBIN0000310) अथवा (खाता क्रमांक 7258002100000030 पंजाब नेशनल बैंक पम्पापुर IFSC Code :- PUNB0725800)** में जमा कर अथवा माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर के नाम से **Bank Draft/D.D./TDR** के माध्यम से ई.एम.डी. राशि जमा किया जा सकता है। **पूर्व निविदाओं हेतु जमा ई0एम0डी राशि एवं पूर्व में जमा शेष राशि को** ई.एम.डी. के रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी। ई.एम.डी. राशि जमा नहीं होने अथवा कुल राशि का 03 प्रतिशत से कम होने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

पांच – निविदा की शर्ते :–

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर से शक्कर क्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. कंडिका क्रमांक **तीन** में दिये गये समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार/फर्म का लाईसेंस थोक विक्रेता होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के कारोबार मान्य नहीं किया जावेगा।
3. शक्कर क्रय करने के लिए भाव पत्र **एस–30 हेतु न्यूनतम 1000, मी.टन, एम–30 हेतु न्यूनतम 1000 मी.टन,** मात्रा की होगी। न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत होने की स्थिति में आपकी निविदा अमान्य किया जाएगा। मात्रा का उल्लेख नहीं होने पर निविदा अस्वीकार की जावेगी। मात्रा की परिवर्तन कारखाना प्रबंधन द्वारा किया जा सकेगा।
4. शक्कर खरीदी हेतु निविदा फार्म में केवल एक ही दर प्रस्तुत करें एक से अधिक दरों पर विचार नही किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्युनतम दर **31000.00** रूपये प्रति टन से कम दर प्रस्तुत करने पर आपकी निविदा अमान्य किया जावेगा।
5. निविदा में दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। काट–छॉट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
6. निविदा फार्म दिनॉक **10/07/2020 से दिनांक 15/07/2020** को **साम 05.30** बजे तक जारी किए जावेंगे एवं दिनांक **16/07/2020** को दोपहर **01.00** बजे तक भरी हुई निविदा कारखाना कार्यालय में ही स्वीकार की जावेंगी।
7. **निविदा दिनॉक 16/07/2020 को दोपहर 02:00 बजे के बाद** कारखाना कार्यालय में खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
8. दर स्वीकृत होने पर क्रय हेतु प्रस्तावित शक्कर क्रय की राशि अनिवार्यतः दिनांक **31/07/2020** तक कारखाने के खाते में जमा करनी होगी।
9. क्रय की गयी सम्पूर्ण शक्कर का उठाव दिनॉक **31/07/2020** तक अनिवार्यतः करनी होगी। एवं विक्रय आदेश दिनांक से अंतिम दिनांक तक में कुल मात्रा का औसतन प्रतिदिन मात्रा को उठाव करना अनिवार्य होगा। तिथि व्यतीत हो जाने के उपरान्त शक्कर का उठाव नहीं करने दिया जाएगा। और जमा ई.एम.डी. की राशि जप्त कर ली जाएगी। औसतन शेष मात्रा को अन्य फर्मो को विक्रय किया जा सकेगा।
10. विक्रय आदेश का सम्पूर्ण मात्रा को औसतन प्रति दिवस उठाव करना अनिवार्य होगा, प्रति दिवस औसतन मात्रा को उठाव नहीं करने पर औसतन उठाव हेतु शेष मात्रा का आदेश निरस्त करते हुए उक्त मात्रा को अन्य फर्म को विक्रय आदेश जारी किया जावेगा।
11. गोदाम में उपलब्ध स्टॉक के बारदाने में पेराई सीजन **2017–18** एवं पेराई सीजन **2018–19** अंकित है परन्तु शक्कर उत्पादन वर्ष **2019–20** का भरा हुआ है अतः पेराई सीजन **2019–20** पढ़ा जावे।
12. निविदाकार को प्रचलित सभी कर/शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा। निविदाकार को शक्कर की डिलवरी शक्कर कारखाना गोदाम से 'जो है जैसा है' की स्थिति में दी जावेगी। गाडियों में शक्कर लोडिंग का भुगतान निविदाकार को करना होगा।
13. शक्कर का उठाव कार्यालीन दिवसों में और कार्यालयीन समय पर ही किया जा सकेगा। शक्कर डिलेवरी हेतु वाहनों का प्रवेश सुबह **10.30** बजे से **03.30** बजे एवं निर्गमन शाम **05.30** बजे तक किया जावेगा।

14. शक्कर डिलवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाडी लोड करावें। विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगा।

16. वाहनों की मानक लोडिंग क्षमता अनुसार शक्कर दिया जावेगा।

17. क्रय की गई संपूर्ण शक्कर की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय में नही होने पर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जायेगी। एवं फर्म को काली सूची में डाली जावेगी।

18. निविदा में भाग लेने हेतु यदि प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो इस आशय का अधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा।

19. शक्कर क्रय हेतु प्रस्ताव कारखाना द्धारा निर्धारित पत्र में प्रत्यक्ष रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि में ही प्रस्तुत किया जाना होगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) ही वाद दायर किया जा सकेगा।

21. इस फार्म की 1 से 20 तक की नियम व शर्ते पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

छ : – प्रबंध संचालक का अधिकार –

प्रबंध संचालक अथवा उनके द्धारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. प्रबंध संचालक/उनके द्धारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नही होगा।
3. फर्म/व्यवसायी द्धारा निर्धारित शर्तो का पालन नही करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष शक्कर की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।

सात :– जमा अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण :–

1. ई.एम.डी राशि अंकों में :– ....

2. ई.एम.डी राशि शब्दों में :– ....

3. जमा दिनांक :– ....

4. जमा विवरण :– ....

5. खाता नम्बर (कारखाने का जिसमें जमा किया गया) : – ....

6. बैंक का नाम (कारखाने का जिसमें जमा किया गया) :– ....

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्धारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शक्कर कारखाना द्वारा शक्कर विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा शक्कर क्रय हेतु निविदा दर लिफाफा–दो व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर